

पत्र क्रमांक 17/16 /स्था./ग्रा.यां.से./17

जांजगीर दिनांक 26/10/2017

प्रति,

कलेक्टर (जन सूचना अधिकारी)
जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

विषय :- टी.एल. बैठक 31.10.2017 के उपरांत होने वाले सूचना के अधिकार की बैठक से संबंधित जानकारी के संबंध में।


संदर्भ :- आपक पत्र क्र. 16125/सू.का.अधि./2017/दिनांक 10.10.2017

-----000-----

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र में उल्लेखित सूचना का अधिकार से संबंधित निम्न कंडिकाओ की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है। इस कार्यालय के प्रथम अपीलीय अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जांजगीर-चांपा है।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार।

ok



(एम.पी. मालवीय)

कार्यपालन अभियंता

ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग जांजगीर


जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

जांजगीर दिनांक 26/10/2017

पृ. क्रमांक 17/17 /स्था./ग्रा.यां.से./17

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विकास आयुक्त कार्यालय रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. अधीक्षण अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मण्डल बिलासपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।



कार्यपालन अभियंता


ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग जांजगीर

जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग जांजगीर अंतर्गत विगत 5 वर्षों में पदस्थ जन सूचना अधिकारी की जानकारी

कड़िका क्र. 1

क्रमांक	जन सूचना अधिकारी का नाम	पदनाम	जन सूचना के रूप में पदस्थापना अवधि
1	श्री बी.पी. खरसन	कार्यपालन अभियंता	28.05.2010 से 04.03.2014
2	श्री डी.के. जोध	कार्यपालन अभियंता	05.03.2014 से 28.03.2017
3	श्री ए.के. सिंह	प्र. कार्यपालन अभियंता	28.03.2017 से 03.07.2017
4	श्री एम.पी. मालवीय	कार्यपालन अभियंता	03.07.2017 से अब तक




कार्यपालन अभियंता

ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग जांजगीर
जिला जांजगीर चाम्पा (छ.ग.)

क्र.	जिला का नाम	गत माह तक लंबित आवेदनों की संख्या	माह में प्राप्त आवेदनों पत्रों की संख्या	गरीबी रेखा के नीचे वाले आवेदनों की संख्या	योग	माह में दी गई (निराकृत) वाले आवेदनों की संख्या	अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	योग	माह के अंत में लंबित आवेदनों की संख्या	प्राप्त आवेदन शुल्क की जानकारी	प्राप्त प्रतिलिपि शुल्क की जानकारी
1	जांजगीर-चांपा	-	2	-	2	2	-	2	-	20/-	-

ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग जांजगीर
जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)


कार्यपालन अभियंता
(एम. पी. मालवीय)



ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सभाग जांजगीर से विगत 1 वर्ष के अंतर्गत राज्य सूचना आयोग से संबंधित जानकारी

कांडिका क्र. 3

क्रमांक	राज्य सूचना आयोग से संबंधित भेजे गये पत्रों की संख्या (पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)	अपीलीय प्रकरण से संबंधित पत्रों की संख्या (पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)
1	-----निरंक-----	


कार्यपालन अभियंता

ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सभाग जांजगीर
जिल्ला जांजगीर बाप्ला (छ.ग.)

कांडिका - 04 अधिनियम की धारा (4) से संबंधित 17 बिन्दुओं की जानकारी


सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं

इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा।

1. (1) प्रत्येक लोक प्राधिकारी

स.क्र.	विवरण		टीप
	क्र.	विषय	
1	(क)	अपने सभी अभिलेखों को सम्यक् रूप से सूचीपत्रित और अनुक्रमणिकाबद्ध ऐसी रीति और रूप में रखेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सूचना के अधिकार को सुगम बनाता है और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख, जो कम्प्यूटरीकृत किये जाने के लिए समुचित हैं, युक्तियुक्त समय के भीतर और संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, कम्प्यूटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों पर संपूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से संबंध है जिससे कि ऐसे अभिलेख तक पहुंच को सुगम बनाया जा सके।	प्रकाशित किया जावेगा।
2	(ख)	इस अधिनियम के अधिनियमन से एक सौ बीस दिन के भीतर	प्रकाशित किया जावेगा।
3	(i)	अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य।	प्रकाशित किया जावेगा।
4	(ii)	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य।	प्रकाशित किया जावेगा।
5	(iii)	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।	प्रकाशित किया जावेगा।
6	(iv)	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान।	प्रकाशित किया जावेगा।
7	(v)	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख।	प्रकाशित किया जावेगा।
8	(vi)	ऐसे दस्तावेजों के जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं प्रवर्गों का विवरण।	प्रकाशित किया जावेगा।
9	(vii)	किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उने द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है।	प्रकाशित किया जावेगा।
10	(viii)	ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खूली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी विवरण।	संबंधित नहीं।
11	(ix)	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका।	संबंधित नहीं।
12	(x)	अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अंतर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है जो उसके विनियमों में यथा उपबंधित हो।	लागू नहीं।

विवरण		टीप
	विषय	
	(xi) सभी योजनाओ, प्रस्तावित व्ययो और किये गये संवितरणो पर रिपोर्टो की विशिष्टया उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट।	प्रकाशित की जावेगी।
14	(xii) सहायिकी कार्यक्रमो के निष्पादन की रीति जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमो के फायदाग्राहियो के ब्यौरे सम्मिलित है।	प्रकाशित की जावेगी।
15	(xiii) अपने द्वारा अनुदत्त रियायतो, अनुज्ञपत्रो या प्राधिकारो के प्राप्तिकर्ताओ की विशिष्टियां।	प्रकाशित की जावेगी।
16	(xiv) किसी इलेक्ट्रानिक रूप से सूचना के संबध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो।	प्रकाशित की जावेगी।
17	(xv) सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिको को उपलब्ध सुविधाओ की विशिष्टया, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित है।	प्रकाशित की जावेगी।
18	(xvi) लोक सूचना अधिकारियो के नाम पदनाम और अन्य विशिष्टियां।	प्रकाशित की जावेगी।
19	(xvii) ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाए।	प्रकाशित की जावेगी।
	प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगा।	


 कार्यपालन अभियंता
 ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
 संभाग जांजगीर